न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 165/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2001/ 00002)

धन्नाराम पुत्र मूलाराम जाति कारीगर (सुथार) निवासी गांव जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. पृथ्वीराज पुत्र श्री मामराज जाति मेधवाल, निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.11.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 28.06.2001 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 पृथ्वीराज ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ में चक 2 एच एल एम के इंतकाल सं. 57 दिनांक 16.8.97 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2001 द्वारा सक्षम आदेश के बिना किया गया इन्तकाल को शुन्य मानते हुए इन्तकाल सं. 57 दिनांक 16.8.97 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट धन्नाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को पहले साधारण सम्मन तथा बाद में जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट ने उपनिवेशन विभाग से सन् 1982 में 13–04 बीधा भूमि अन्तोदय परिवार के तहत भूमिहीन काश्तकार में आवंटन करवाई थी। जमीन की कीमत अपीलान्ट द्वारा खजाना राज में जमा करवा दी गई, अपीलान्ट के नाम खातेदारी सनद भी जारी है तथा सन् 1982 से अपीलान्ट इस कृषि भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। उक्त आवंटन के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता ने शिकायत पेश की थी। फर्जी शिकायत के आधार पर यह भूमि खारिज कर दी गई। भूमि खारिज के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व मण्डल अजमेर तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई जो खारिज कर दी गई। इसके बाद अपीलान्ट ने उच्चतम न्यायालय में अपील पेश की जो। उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। जो जिला कलक्टर न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। दौराने विचारण रेस्पोडेन्ट सं. 2 जो कि कार्यवाही में पक्षकार नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 अपीलान्ट के नाम आवंटित भूमि का इंतकाल तस्दीक किये जाने से किसी भी प्रकार से प्रभावित एव पीड़ित पक्षकार नही है, ना ही उसे अपील पेश करने का अधिकार था। इसके साथ रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर पेश की गई तथा मियाद बाहर अपील किये जाने का कोई ठोस व युक्तियुक्त आधार भी पेश नही किया, इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर कानूनी भूल की है। इंतकाल की प्रक्रिया एक **Fiscal Proceeding** है, आवंटन का विचारण जिला कलक्टर के समक्ष जैरकार है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के नाम इंतकाल कायम रहने से रेस्पोडेन्ट सं. 2 को किसी तरह से प्रभावित नही है लेकिन इंतकाल निरस्त करने से कानूनी पेचीदगिया व मुकदमे बाजी बढेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 28.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड करने के आधार पर इन्तकाल सं. 57 दिनांक 16.8.97 को खारिज करने के आदेश दिए है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रकरण को दुबारा पुनर्विचार कर निर्णित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है आवंटन बहाल नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.03.1996 अनुसार".....remit the matter to the revenue authorities to re-consider the entire matter again in the light of the above" उक्त आदेश सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकरण को पुनर्विचार कर निर्णित किए जाने हेतु रिमाण्ड किए जाने से संबंधित है न कि नामान्तकरण दर्ज किए जाने से संबंधित है। उक्त परिपेक्ष्य मे तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा पटवारी हल्का को जारी आदेश दिनांक 05.08.1997 व तदनुसार पारित नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 16.08.1997 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के कानूनी आवश्यकता नही समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 16.11.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर